किसान आत्महत्या और भूमि अधिग्रहण कानून

पूरे भारत में भूमि अधिग्रहण कानून और किसान आत्महत्या को एक साथ जोड़कर चर्चा का विषय बनाया गया है। संसद में भी इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखा गया है, तो मीडिया में भी लगभग वही स्थिति है। विपक्ष दोनों को एक साथ जोड़कर विरोध कर रहा है। तो सत्ता पक्ष भी दोनों को अलग–अलग करने की स्थिति में नहीं है। जबकि दोनों विषय एक दूसरे के विपरीत हैं। लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख नेता के रुप में राहुल गॉधी ने कहॉ कि जमीन सोने का टुकडा है और सोना पैदा करती है। ऐसी जमीन को किसी किसान से जबरदस्ती लेना कितना उचित है? साथ ही राहुल गॉधी ने यह भी कहॉ कि पुरे देष में किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। मोदी की सरकार किसानों की आत्महत्या को नहीं रोक पा रही है, और उद्योगपतियों की चिंता कर रहीं है। राहुल गॉधी ने अपने भाषण में यह भी कहॉ कि अमेठी का फुडपार्क उद्योग वहॉ के किसानों को रोजगार देने का अच्छा माध्यम हो सकता था जिसे इस सरकार ने रोककर आत्महत्या कर रहे किसानों के रोजगार का अवसर छीन लिया है। मैंने बहुत विचार किया तो तीनों का कहीं तालमेल नहीं बैठा।

यह सच है कि छोटी जोत के किसान आत्महत्या कर रहें है। न तो भूमिहीन अत्महत्या कर रहे हैं, न ही बड़े किसान। इसका अर्थ हुआ कि खेती भी बड़े किसानों की तरफ बढ़ रही है। मैं देख रहा हूॅ कि यह सच्चाई सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है बल्कि हर उद्योग में यही स्थिति है। छोटी–छोटी सीमेंट फैक्ट्रीयॉ,लोहे के कारखाने,छोटे–छोटे व्यापारी तथा छोटे–छोटे अन्य सभी प्रकार के लघु उद्योग बंद हो रहे हैं और उनकी जगह बड़े–बड़े उद्योग सफल हो रहे हैं। इन बड़े उद्योगों की जगह जब और बड़े उद्योग लग जायेंगे तो ये बड़े उद्योग और बड़े उद्योगों की तुलना में कमजोर होकर बंद हो जायेंगे।इसका अर्थ यह हुआ कि श्रम आधारित रोजगार की अपेक्षा तकनीक सहायक रोजगार अधिक सफल है। ऐसे अनेक असफल व्यापारी या उद्योगपति या तो किन्ही और कार्यो में चले जाते है, अथवा दिवाला निकाल लेते हैं या कहीं नौकरी कर लेते हैं, या यदा–कदा आत्महत्या भी कर लेते हैं। परन्तु ऐसी आत्महत्या की कभी चर्चा नहीं होती है। सिर्फ किसान आत्महत्या की ही चर्चा ज्यादा होती है। जैसा अन्य सभी क्षेत्रों में हो रहा है, वही स्थिति गॉव और षहर के आधार पर भी दिख रही है। गॉव उजड़ रहे है षहर बढ़ रहे है। गॉव में बेरोजगारी है षहरों में रोजगार है। भूमिहीन लोग अधिक सुविधाजनक तरीके से षहरों की ओर जाकर अन्य रोजगार तलाष रहें है, तो गॉव के छोटे किसान न जमीन छोड पा रहें है न ही खेती। कुछ समझदार लोग गॉवों को छोडकर षहरों में जा भी रहें है किन्तु अधिकांष लोग उसी खेती से चिपके हुए है जो खेती उन्हें न मरने दे रही है और न सुखपूर्वक जीने दे रहीं है। यदि राहुल गॉधी का यह कथन सच है कि जमीन सोना उगलने वाली है तो किसान आत्महत्या क्यों? गॉव का उजड़कर षहरों में जाना क्यों? मैं अभी तक नहीं समझा कि आत्महत्या करने वालों में भूमिहीन श्रमिक या दूसरों के यहॉ खेती करने वाले मजदूर षुन्यवत् क्यों हैं जबकि खेती कराने वाले आत्महत्या कर रहे हैं। सोना पैदा करने वाली जमीन का मालिक श्रुखों मर रहा है, और उस जमीन पर काम करने वाला मजदूर घर में आराम से है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि भारत के किसान अन्य उद्योगों के परिणामों से सीख नहीं ले रहे कि उद्योगों का, खेती का, गॉवों का,लगातार केन्द्रियकरण हो रहा है और किसान भी इस केन्द्रीयकरण की मार से बच नहीं सकता । अर्थात् किसान को शी या तो अपनी खेती बढ़ानी पडेगी , आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पडेगा बडे किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी अथवा जमीन बेचकर भूमिहीन रहकर अन्य श्रमिकों की तरह रोजगार के नये अवसर ढुंढने पडेंगे । विचार करिये कि अमेठी में राहुल गॉधी फूडपार्क लगाने पर जोर दे रहें है, तो षेष भारत में बड़े उद्योग लगाने का विरोध कर रहें है। अमेठी में फूडपार्क लगेगा तो वह भी एक बड़ा उद्योग होगा और उसके लिए शी जमीन की जरुरत पडेगी। मैं नही समझा कि देषभर में औधोगीकरण में रोडे अटकाने वाले विपक्ष के लोग अमेठी में बडा उद्योग लगाने की वकालत क्यों कर रहे है? मैंने उक्त विषय पर मीडिया में बहुत सुना तो एन.डी.टी.बी. के एक ऐंकर को छोडकर किसी ने यह बात नहीं उठायी कि उद्योग किसान विरोधी है या सहायक। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। किसी ने यह शी मुद्दा नहीं उठाया कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है बल्कि छोटी जोत के किसान आत्महत्या कर रहें है, क्योंकि खेती का भी केन्द्रियकरण लाभदायक हो रहा है। यदि खेती अलाभकर व्यवसाय है तो बडे किसान इस खेती के व्यवसाय में ही लाभ कैसे उठा रहें है । यहॉ तक कि अनेक किसान स्वंय खेती न करके भूमिहीन कृषकों से खेती एक चौथाई या आधी फसल तक ले लेते है। यदि खेती इतनी अलाभकारी होती तो लोग खेती से उत्पादन करके जमीन के मालिक को आधी फसल क्यों देंगे?

मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि छोटे किसानों को धीरे–धीरे जमीन का मोह छोड़कर अन्य व्यवसायों की ओर प्रसन्नतापूर्वक जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार और विपक्ष को भी इन छोटे किसानों को जमीन के मोह में फंसाये रखने की अपेक्षा अन्य रोजगारों की तरफ जाने देना चाहिए। आम लोगों से प्राप्त टैक्स का पैसा इस प्रकार छोटे किसानों की सहायता में लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि छोटे और बड़े की प्रतिस्पर्धा को रोकना न अब तक संभव हुआ है न ही होगा। यदि आप लघु उद्योग और बड़े उद्योग की प्रतिस्पर्धा को कम करना चाहते है तो उसका समाधान लघु उद्योगों को सहायता देने से नहीं हो सकता बल्कि इसका समाधान तो बड़े उद्योगों अथवा बड़े किसानों की तकनीकी सहायक कृत्रिम ऊर्जा की शरी मूल्यवृद्धि से ही हो सकता है। सरकार को यदि कुछ करना है तो समस्या का समाधान सम्पूर्णता के आधार पर ही हो सकता है सिर्फ छोटे किसानो तक समस्या को समझना और सोचना कहीं समाधान नहीं होने देगा।

(1)श्री मुकेष कुमार ऋषिवर्मा,फतेहाबाद,आगरा,उ0प्र0, ज्ञानतत्व– 3242

प्रष्नः– मैं अर्थषास्त्री नहीं हूॅ और नहीं बड़ा विद्वान फिर भी इतना तो जानता हूॅ कि अपना भारतवर्ष आज कर्ज के बल पर खड़ा है। जब मैं छोटा था तब पिता जी कर्ज की चिन्ता के कारण रात को सो नहीं पाते थे। उन्हें हर समय यही चिंता खाये जाती थी कि कब महाजन आ धमके कर्ज मॉगने। परन्तु पिता जी ने कडी मेहनत और घरेलू खर्चों में कटौती करके कर्ज से मुक्ति पा ली। परन्तुं हमारे प्यारे राजनेता कर्ज पर कर्ज किये जा रहे हैं। आप बतायें कि क्या कर्ज लेकर ''मेक इन इंडिया'' का सपना सही मायने में साकार किया जा सकता हैं?

उत्तर–भारत पर विदेषी कर्ज के सम्बंध में कई ऐसी जानकारियॉ आवष्यक हैं जो मुझे नहीं हैं। मैं चाहूॅगा कि इस संबंध में आप पाठक कुछ और जानकारी दें।

पहला प्रष्न तो यह है कि कर्ज और उधार में क्या अन्तर है?मेरे विचार में कर्ज और उधार बिल्कुल भिन्न विषय हैं। भारत कर्ज में है या उधार में है? सन् इक्यान्नवे में भारत को घाटे में देखकर दुनिया के अनेक देषों ने और धन देना बन्द कर दिया था तब भारत सरकार ने अपना सोना गिरवी रखकर उधार लिया था। उसके बाद ही भारत ने अपनी अर्थ नीति में परिवर्तन किया। इक्यान्नवे के पूर्व जिस अर्थनीति को हम अपनी समस्याओं का कारण

मानकर छोड़ चुके है, उस पुरानी अर्थनीति के कुछ पक्षधर आज भी यदा कदा उस असफल अर्थनीति की प्रषंसा करते रहते हैं। प्रष्न उठता है कि जब विदेषी निवेषक हमारी आर्थिक स्थिति का आकलन करके ही उधार या कर्ज देते हैं तब हम बाहर के लोग जो इस आंतरिक स्थिति का कखगघ भी नहीं जानते वे अपनी नींद क्यों खराब करें? तीसरी बात यह है कि अर्थ व्यवस्था के संचालन के लिये कई एजेन्सियों का चेक बैलेन्स है। ऐसी एजेन्सियों में ही एक रिजर्व बैंक भी है। इस तरह की अनेक एजेन्सियों में से किसी एक ने भी ऐसी खतरनाक आषंका व्यक्त नहीं की है। चौथी बात यह भी है कि भारत सब प्रकार के आर्थिक कर्ज के बाद भी कुछ प्रतिषत विकास कर रहा है। विकास की वृद्धि दर कम ज्यादा हो सकती है किन्तु वह षून्य या षून्य से नीचे नहीं है। मैं नहीं समझता कि आसमान सर पर गिर सकता है यह सोचकर अपनी नींद खराब करना कितनी वुद्धि मानी होगी।कुल मिलाकर भारत की अर्थ व्यवस्था की चिन्ता करने वाली कई एजेन्सियॉ हैं। आप यदि परिवार को ठीक से सम्हाल लें तो पर्याप्त है।

(2)श्री एम.एस. सिंगला अजमेर,राजस्थान, ज्ञानतत्व–50060

विचार–ज्ञानतत्व का अंक 312 मिला। समस्या समाधान में,प्रष्नों के उत्तर देने में आपकी मीमांसा प्रषंसनीय होती हैं। उसमें आपका गहन चिन्तन झलकता है जो स्तुत्य है। ये सब उत्तर सन्तोषजनक होने से अच्छे लगते हैं। इस प्रकार के षंका समाधान गहन चिन्तन के अभाव में सम्भव नहीं। आपको हार्दिक साधुवाद।

इसी के साथ दो बातें और हैं। कुछ मामलों में आपका सोच भ्रमित कर देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय ऐसा ही रहा है। षुरु में कहा कि कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावष्यक षासकीय हस्तक्षेप के संबंध में धारा 66 ए को असंवैधानिक करार देकर.... नई बहस छेड़ दी है। आगे चलकर कहा है... अन्त में मजबूर होकर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। आपका मन्तव्य स्पष्ट नही हो पाया।

मेरा मानना है कि एक तो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को गैर जिम्मेदाराना बयान देना ही नहीं चाहिये और वह आहत करने वाला और गैर जिम्मेदाराना हो तो उस पर कारवाई की जानी चाहिये। बात का बतंगड बनना अधिक बुरा होता है। इस बारे में या तो सम्बधित पक्ष को साफ होना चाहिये। उसका कथन आपत्तिजनक है तो दण्डनीय है।यदि दण्डनीय नहीं हो सकता या कुछ नहीं किया जा सकता तो ऐसे बयानों की उपेक्षा ही एक मात्र उपाय होता है। उदाहरण के लिए यूपीए में केन्द्र में रहे मंत्री का अरविन्द केजरीवाल के प्रति यह बयान उपेक्षा योग्य नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल... से लौटकर दिखाए।

आप लोकतंत्र के पक्षधर हैं। मैंने ब्रिटिष राज देखा और कुछ देषी राजाओं का राज देखा। उसके बाद अब प्रायः सुनने पढने में आता रहता है कि वे षासन कहीं अच्छे थे। लोकतंत्र अच्छा हो सकता है बषर्ते वह सही अर्थ और सही स्वरुप में लोकतंत्र हो लेकिन उसकी कल्पना परीकथा बनकर रह गई है। एकतन्त्रीय षासन के पक्ष में भी विचार प्रकाष में आते रहते है तो एक विचार सहस्रों विचारों का प्रतीक होता है।

इस बार महिला सषक्तिकरण,भ्रुणहत्या आदि पर अनेक प्रष्न पूछे गये हैं और आपके उत्तर सटीक बन पडे हैं। कहीं कहीं पर उत्तर कूटनीतिक भी लगे जिनका वैसा होना स्वाभाविक किंवा अवष्यम्भावी भी है।

आपका कथन सही है कि परिवारों के अन्दर झगडा लगाने वाले अम्बेडकर और नेहरु जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इससे आगे सच तो यह है कि जैसा कि नेहरु ने माउण्ट बैटन के सामने स्वीकार भी किया था, कि उन्हें षासन करना नहीं आता। देष में अब तक षासन के नाम पर सरकारें केवल सामाजिक मान्यताओं,परम्पराओं आदि के साथ खिलवाड करती रही हैं क्योंकि जैसा कि आप भी मानते हैं सरकारों ने समाज को पहचान नहीं दी है। जबकि वस्तुतः षासन के तीन ही दायित्व प्रमुख होते है,आम जनता को सुरक्षा,स्वास्थ्य और षिक्षा प्रदान करना। सच तो यह है कि एक दिन का बादषाह चमडे के सिक्के ही चला सकता है।कुछ प्रबुद्ध नागरिकों की आलोचना और सलाह के नमूने प्रस्तुत है–

1–ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से चरखा चलता हाथों से, षासन चलता तलवार से।।

2–राजनीति बन गई रे वेष्या,नेता बने दलाल ऐसे में क्या होगा रे भैया मेरे देष का हाल!

जब राजनीति को वेष्या बना दिया गया है तब उसकी आलोचना का उस पर क्या असर होगा! परिवार एक प्राकृतिक इकाई है।,मैं रोषनलाल अग्रवाल से सहमत हूँ। परिवार वैसे ही प्राकृतिक इकाई है जैसे बगीचे का माली अपने बगीचे के साथ, किसान अपने खेत के साथ। इसी के साथ परिवार समाज की इकाई भी है जैसे खेत उत्पादन की एक इकाई है।

आरक्षण एक राजनीतिक बीमारी है जिसने देष की प्रगति को रोक दिया है। क्या राजनीति कोई उदाहरण दे सकती है जहॉ आरक्षण का स्वरुप अनन्त काल का हो? राजनीति अपने आपको चाहे जितनी प्रगतिषील या और कुछ मान ले, हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं से अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुॅचाने की बात करता है। तथ्य यह है कि अगर जनता के दुख दर्द दूर होंगे तो किसी कार्यकर्ता को कहीं बताने की जरुरत होगी ही नहीं कि भाई तुम्हारे दुख दर्द दूर कर दिये हैं। राजतंत्र में स्वयं राजा वेष बदलकर पता लगाया करते थे कि जनता को कोई कष्ट तो नहीं हैं। वे यह नही जानना चाहते थे कि जनता सुखी है कि नहीं।

राजस्थान में भामाषाह योजना चलाई हुई है। राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा जी महिला है,उन्होने महिला को घर का मुखिया बना दिया या मान लिया है। सत्ता जो चाहे सो कर लें किन्तु वह महिला की वजाय पुरुषों को ससुराल भिजवाना षुरु करके दिखाए। और ऐसी अनेक बातें है। सम्प्रति इतना ही।

आमजन में साधारणतया और महिला वर्ग में विषेष रुप से विचारणीय बात होनी चाहिये कि स्वतन्त्र भारत में बलात्कार की मनोवृत्ति दिन–ब– दिन परवान चड रही है। अंग्रेजी षासन में ऐसा नहीं था। क्यों?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मेरी टिप्पणी का आषय यह है कि आदर्ष लोकतंत्र में किसी सरकारी कानून को न्यायालय मजबूरी में ही सार्वजनिक बहस के लिये खोलता है अन्यथा माना जाता है कि विधायिका के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय। यदि हम भारत के लोकतंत्र की समीक्षा करें तो यहॉ विधायिका की बदनामी का लाभ उठाकर न्यायपालिका अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की कोषिष में दिन रात लगी हुई है।न्यायपालिका इस मामले में पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तथा सरकार से जुडे लोग ऐसे कानून का खुलकर दुरुपयोग कर रहे थे इसलिये न्यायालय का हस्तक्षेप उचित है।

किसी भी परिस्थिति में आम नागरिक बुरी से बुरी स्थिति से भी सामंजस्य षुरु कर देता है किन्तु विकल्प दिखते ही वह विकल्प के पक्ष में डटकर खडा हो जाता है। न तानाषाही कभी स्थायी विकल्प हो सकता है न ही प्रदूषित लोकतंत्र। जब स्थायी गुलामी थी तब भारत की जनता एक मत से

संभावित लोकतंत्र की ओर दौड़ पड़ी। इस जन समर्थन का लाभ प्रदूषित लोकतंत्र वादियों ने उठाया। संघ परिवार की न कभी नीयत ठीक रही न नीति। नेहरु अम्बेडकर संघ परिवार की अपेक्षा अधिक चालाक थे। उन्होने समाज को धोखा देने के लिये गॉधी विरोधी नीतियों को ही गॉधी के विचार प्रचारित कर दिया तथा अपने वारिसों के नाम के साथ भी गॉधी षब्द जोड़कर अपने प्रपंच को और स्थायी बना लिया। भारत की जनता गॉधी नामधारी व्यक्ति तथा गॉधी के अनुकरण के नाम से प्रचलित प्रदूषित लोकतंत्र की नीतियों से लगातार छली जाती रही। अब भारत की जनता को प्रदूषित लोकतंत्र की जगह तानाषाही का एक विकल्प दिखा और जनता उधर ही कूद पड़ी। यदि तानाषाही भी लम्बे समय तक चली और लोकस्वराज्य की दिषा में नहीं बढ़ी तो दस बीस वर्ष बाद भारत फिर से प्रदूषित लोकतंत्र की दिषा में बढ़ सकता है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि भारत की जनता ने तानाषाही को अच्छे विकल्प के रुप में नहीं चुना है बल्कि मजबूरी में बुरे विकल्प के रुप में चुना है।तानाषाही या राजतंत्र कभी लोकतंत्र की अपेक्षा अच्छे नहीं हो सकते भले ही वर्तमान में कुछ समय के लिये यह प्रयोग आया है।यह तानाषाही भी लोकतंत्र के नाम पर कुछ परिवारों की अघोषित तानाषाही के विरुद्ध ही आया है। आप इस परिर्वतन का गलत अर्थ न निकालें।

आपने न्याय और सुरक्षा के साथ–साथ षिक्षा को भी जोड़कर भूल की है।षिक्षा राज्य का दायित्व न होकर स्वैच्छिक कर्तव्य तक ही सीमित है। सभी षिक्षित लोगों ने श्रम के साथ षड़यंत्र पूर्वक अन्याय किया है। श्रम के साथ अन्याय और षिक्षा को प्रोत्साहन अन्याय है और मैं ऐसे अन्याय का भरपूर विरोध करुंगा। यदि मेरा वष चले तो मैं षिक्षा का सारा बजट रोककर पहले रोटी कपड़ा मकान दवा जैसी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी उत्पादन उपभोग को टैक्स फ्री करके श्रम के साथ षोषण और अन्याय को हटाने की षुरुवात कर दूँ।कल ही जनसत्ता एक जून में खाद्य मंत्रालय का एक समाचार छपा है कि षांता कुमार की अगुवाई वाली उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिष की है कि गेहूँ,चावल जैसे अनाजों पर कर की अलग अलग दरें लागू करने से राज्य सरकारे सहमत नही है विदित हो कि मौजूदा समय में गेहूँ और चावल पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग करों की दरे है सरकारी ऑकडो के अनुसार खरीद षुल्क बिक्री कर ,बाजार 'षुल्क व अन्य कर मिलाकर पंजाब में गेहूँ की खरीद पर साढे चौदह फीसदी कर लगता है तो हरियाणा में साढे ग्यारह की फीसदी मध्यप्रदेष में नौ फिसदी और उत्तर प्रदेष में साढे आठ फीसदी इसी तरह चावल पर पंजाब में साढे चौदह फीसदी तथा अन्य राज्यों में इसी तरह कम ज्यादा कर लगता है।सरकारे बडी बेषर्मी से अनाजों पर लगने वाला टैक्स खुलेआम स्वीकार करती है और तथाकथित षिक्षा समर्थित लोग उतनी ही बेषर्मी से षिक्षा का बजट बढाने की सिफारिष करते है। मैं जानता हूँ कि श्रम खरीदने वाले षिक्षित लोगों को यह बात बुरी लगेगी किन्तु मैं तो यथार्थ कहूँगा ही।

आपने चरखा और तलवार षब्द का प्रयोग किया। सच बात यह है कि दोनों की अलग–अलग उपयोगिता है। तलवार की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ समाज विरोधी तत्वों तक के लिये सीमित है,समाज के लिये नहीं। यदि षासन समाज में भय पैदा करने के लिये तलवार को प्रासंगिक बतावे तो यह बात गलत है, भले ही किसी उॅचे से उॅचे कवि ने क्यों न कही हो। विषेष स्थिति को छोड़कर सामान्यतया कवि साहित्यकार मात्र होता है,विचारक नहीं। कवि समाज के लिये प्रचलित गंभीर विचारों को साहित्य के आवरण में लपेट कर उसे ग्राह्य बना देता है। यदि विचारों को साहित्य का सहारा न मिले तो विचार सूख जाता है,मर जाता है। अतः गंभीर विचारक कभी विचार मंथन में महापुरुषों के कथन अथवा साहित्य का सहारा नहीं लेते क्योंकि साहित्य ह्रदय ग्राह्य होता है और विचार मस्तिष्क ग्राह्य।विचारक तो हमेषा अपने विचार प्रस्तुत करता है ,अपने नाम से करता है,अपनी भाषा में करता है। मृत महापुरुषों के अच्छे से अच्छे विचार भी बिना विचार किये प्रस्तुत नहीं करना चाहिये

आपने राजाओं की अनावष्यक प्रषंसा की है। न सभी राजा अच्छे थे न सभी बुरे।कुछ राजा रात को वेष बदलकर प्रजा का सुख दुख देखने के लिये घूमते थे तो कुछ राजा बल पूर्वक लडकियॉ भी उठवा लेते थे। प्रदूषित लोकतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र की प्रषंसा नहीं हो सकती भले ही भारत ने अल्पकाल के लिये इसे मजबूरी में स्वीकार किया हो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वर्तमान प्रदूषित लोकतंत्र की बुराई करते करते राजषाही का गुणगान न करें तो अच्छा होगा। आपने बलात्कार की चर्चा की है तो मेरे विचार में बलात्कार वृद्धि का कारण भारत में प्रचलित उटपटांग कानून मात्र हैं। दो प्रतिषत आधुनिक महिलाओं को अंठान्नवें प्रतिषत परम्परागत परिवारों की महिलाओं का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इन आधुनिक महिलाओं ने महिला सषक्तिकरण के नाम पर परिवार व्यवस्था के विरुद्ध अधिक स्वतंत्रता की आवाज उठाई और ऐसी महिला स्वतंत्रता हमारे पुरुष राजनेताओं को भी सुविधा जनक लगी।कौन नहीं जानता कि हमारे अनेक राजनेताओं ने अपनी प्रेमिकाओं तक को उॅचे उॅचे राजनैतिक प्रषासनिक पदों पर बिठा दिया। जो महिलाऍ किसी खूंटे से बंध कर नहीं रहना चाहती और ज्यादा स्वतंत्रता चाहती हैं, उन्हें वैसा करने का अधिकार है किन्तु उन्हें यह अधिकार नहीं कि पारिवारिक अनुषासन से सहमत महिलाओं के लिये वे कानून बनाने या बनवाने की पहल करें। आज भारत को महिला सषक्तिकरण की अपेक्षा परिवार सषक्तिकरण की ज्यादा जरुरत है। हम आप का कर्तव्य है कि मुट्ठी भर महिला सषक्तिकरण का नारा लगाने वाले स्त्री पुरुषों को परिवार सषक्तिकरण के नारे से चुनौती देने की पहल करें।

(3)चितरंजन भारती,पंचग्राम,असम, ज्ञानतत्व–115

विचार– ज्ञानतत्व के अंक मुझे नियमित मिलते हैं तथा आपके विचारों से मैं हमेषा सैद्धांतिक व्यावहारिक मार्गदर्षन पाता रहा हूँ। इस संबंध में मुझमें कोई फर्क नहीं आया है। चूँकि जनजातीय जीवन को मैं काफी करीब से देख रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा ख्याल था कि षिक्षा से कुछ बदलाव आया है,मगर मंद गति से। भले ही उसकी दषा और दिषा स्पष्ट नहीं है। आपने मेरा जो प्रष्नोत्तर दिया है,उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि षिक्षित वर्ग सामंतवाद का मद्दगार होता है। आपने ज्ञानतत्व में ''षिक्षा''और ''ज्ञान'' के अंतर को स्पष्ट किया,उसके लिए भी आभार! आप इसी तरह हमारा मार्गदर्षन करते रहें!

उत्तरः–मुझे खुषी है कि आपने षिक्षा और ज्ञान के बीच का अन्तर समझा अन्यथा हर षिक्षित इस अन्तर को नहीं समझना चाहता। आप न केवल उच्चषिक्षित हैं बल्कि षिक्षण कार्य से जुड़ा होने के बाद भी समझ सके यह कोई मामूली बात नहीं।

हम सब लोगों को मिलकर एक प्रष्न का उत्तर खोजना ही होगा कि गरीब,ग्रामीण,अषिक्षित लोग अमीर,षहरी,षिक्षित लोगों की अपेक्षा अधिक चरित्रवान या मानवतावादी क्यों हैं?पहले प्रकार के लोग पिछडे और दूसरे प्रकार के लोग विकसित क्यों कहे जाते हैं? विकास और आचरण के बीच इतना गहरा अन्तर्द्वन्द क्यों है?यह अन्तर्द्वन्द है तो अवष्यक किन्तु क्यों है यह प्रष्न कठिन है। यह भी उत्तर खोजना होगा कि हम भौतिक विकास के साथ ही साथ नैतिक पतन को देखते और समझते हुए भी भौतिक विकास को ही प्रगति का एकमात्र मापदण्ड क्यों मान रहे हैं? इन प्रष्नों पर भी विचार करने की जरुरत है।

चुनाव पूर्व का मेरा आकलन और वर्तमान धटना क्रम

पिछले अंक में मैने एक प्रष्न के उत्तर में लिखा था कि लोक सभा चुनावों के बहुत पूर्व मैंने परिस्थितियों को देखकर एक ऐसा लेख लिखा था जो भविष्यवाणी के समान माना जा सकता है। कुछ साथियो ने वह लेख न पढने के कारण अथवा याद न रहने के कारण वर्तमान समय में राजनीति की समीक्षा करने पर कुछ प्रष्न खड़े किये हैं। उन प्रष्नों के उत्तर स्वरुप मैं अपने चुनाव के करीब तीन माह पूर्व लिखे लेख को पुनः प्रकाषित कर रहा हूँ। मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि लगभग सात आठ वर्ष पूर्व ही मैने कई लेख लिखकर यह घोषणा की थी कि नरेन्द्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएँ मौजूद है तथा यदि सोनिया गॉधी ने अपने पुत्र मोह के कारण मनमोहन सिंह को कमजोर करने का प्रयास नहीं छोडा तो मोदी को नहीं रोका जा सकेगा। यदि कोई साथी उन लेखों को भी पढना चाहे तो वह ''काष इंडिया डॉट कॉम'' के मैग्जिन कॉलम में खोलकर पढ सकता है या यदि चाहे तो मैं उसकी कॉपी उन्हें भेज सकता हूँ। मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि मैंने बहुत बार लिखा है कि भारत के लोकतंत्र की परीक्षा में एक मात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही सफल हुए है और यदि समस्याओं के समाधान का आकलन करें तो नरेन्द्र मोदी ही सफल होंगे क्योकि इनमें समस्याओं के समाधान के लिए आवष्यक तानाषाही के सारे गुण मौजूद है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ ।

लोक सभा चुनाव और एक पूर्व समीक्षा

अगले आम चुनाव को तीन महीने शेष बचे हैं। अनेक पाठक भी जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिये, और मै भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि चुनावों के पूर्व एक समीक्षा प्रस्तुत करूँ। वैसे तो पूरी दुनियां मे ही राजनीति समाज व्यवस्था को प्रभावित करती है, किन्तु भारत की स्थिति तो अन्य देषो की अपेक्षा कुछ इतनी अलग है कि यहॉ राजनीति समाज व्यवस्था को प्रभावित ही नही करती बल्कि संचालित भी करती है। इसलिये हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी अपने विचार प्रस्तुत करें।

भारतीय राजनीति मे चार बातें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं– 1. परिवार केन्द्रित 2. व्यक्ति केन्द्रित 3. दल केन्द्रित 4. विचार धारा केन्द्रित। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति मे घुमा फिराकर एक ही परिवार का वर्चस्व रहा, जिसने भले ही अपना नाम कांग्रेस रखा हो किन्तु उसमें न कांग्रेस का कुछ लेना देना रहा न किसी व्यक्ति का, और न ही किसी विचार धारा का। सुविधानुसार जब चाहा तब समाजवादी बन गये और जब चाहा तब पूँजीवाद की राह पकड ली और यदि कभी जरूरत पडी तो तानाषाह बनने में भी परहेज नही किया। किन्तु इनकी सारी तिकडम, सत्ता को अपने परिवार तक सीमित करने मे लगी रही। आज दुनिया इतनी आगे निकल गई है, भारत भी अनेक मामलो मे आगे बढा है, राजनीति मे भी अनेक नये–नये प्रयोग हो रहे हैं, किन्तु यह परिवार आज भी सत्ता को अपने परिवार तक सीमित करने मे कोई कसर नही छोड रहा। कांग्रेस को छोडकर अधिंकाष राजनैतिक दल व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं, जिनमे एक व्यक्ति ही विचार धारा भी है, राजनैतिक दल भी है और परिवार भी । इनमे जनता दल युनाइटेड तथा संघ संचालित दल को छोडकर बाकी सब दल शामिल है। लालू, मुलायम, मायावती सरीखे सारे दल तो है ही, किन्तु वामपंथी दल भी इससे कही ज्यादा दूर नही हैं। तीसरे प्रकार के वे समूह है जो राजनैतिक दल के रूप मे स्थापित है। इनमे पहले तो जेडीयू तथा भाजपा आते रहे हैं, किन्तु अब भाजपा के समाप्त होकर संघ परिवार के सामने आ जाने के बाद अकेला जेडीयू बचा है, जिसका अस्तित्व भारतीय राजनीति मे न के बराबर बचा हैं। चौथा समूह विचारधारा केन्द्रित है जिसमे संघ परिवार तथा कुछ–कुछ वामपंथियों को भी माना जा सकता है, जो दोनो विपरीत विचाधाराधो पर केन्द्रित हैं। वर्तमान चुनावो मे तो ऐसा दिखता है कि संघ परिवार ने भी मोदी के नाम पर अपना सारा दांव लगा दिया है। यदि विचारधारा के नाम पर हम भारत की सम्पूर्ण राजनीति की समीक्षा करें तो एक तरफ वे दल आते है जो घोषित रूप से तानाषाही के पक्षधर है दूसरी ओर वे दल है जो घोषित रूप से तो लोकतंत्र के पक्षधर है किन्तु है ढुलमुल। संघ परिवार और उनके चेहरे नरेंन्द्र मोदी घोषित रूप से तानाषाही के पक्षधर है क्योंकि संघ परिवार की घोषित नीतियों में केन्द्रित राजनीति सबसे उपर है। साम्यवादी पार्टियां भी नीतिगत रूप से लगभग तानाषाही की पक्षधर है यद्यपि वे भारतीय राजनीति की चर्चा से बाहर हो चुकी हैं। अन्य सभी राजनैतिक दल ढुलमुल विचारधारा के हैं, क्योंकि उनकी कोई घोषित विचारधारा नही है। जेडीयू को थोडा अवष्य भिन्न माना जा सकता हैं ,वह भी अब चर्चा से बाहर ही दिख रही है।

कुछ समय पूर्व तक पूरे देष मे एक निराषा का वातावरण था, कि हमारे समक्ष परिवार और तानाषाही के बीच एक को चुनने की मजबूरी है। दुनिया जानती है कि लोकतंत्र एक असफल सिद्धान्त है जो तानाषाही की जगह मजबूरी मे स्वीकार किया जाता है। किन्तु यदि लोकतंत्र लोकस्वराज्य की दिषा मे न जाये तो वहां अव्यवस्था होना निष्चित है, जैसा की भारत सहित अनेक दक्षिण एषियाई देषो मे स्पष्ट दिख रहा है। स्वतंत्रता के बाद एक परिवार ने अपने स्वार्थवष लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिषा मे नही बढने दिया। अन्य राजनैतिक दल भी उसी स्वार्थ मे सत्ता परिवर्तन के प्रयत्नो तक सीमित रहे। उन्होंने कभी भी लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिषा देने की बात नही सोची क्योंकि यह प्रयत्न तो उनके पैरो में कुल्हाडी मारने जैसा होता। लोकतंत्र का जो परिणाम होना था वही हुआ कि भारत अव्यवस्था की दिषा मे बढता चला गया। देष तरक्की किया समाज नीचे गिरते चला गया। भौतिक उन्नति तो बहुत हुई किन्तु चरित्र पतन भी उतनी ही गति से बढता चला गया। एक बार जयप्रकाष जी के प्रयत्नों से आषा की एक किरण दिखी थी किन्तु वह भी सत्ता परिवर्तन तक आकर सिमट गई। दूसरा प्रयत्न अब अन्ना हजारे ने किया था जो न सत्ता परिवर्तन की दिषा मे बढ पाया, न व्यवस्था परिवर्तन की दिषा मे। अब वह प्रयत्न अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व मे कुछ–कुछ बढ रहा है, पता नही किस दिषा मे जायेगा ? अव्यवस्था का सिर्फ एक ही समाधान होता है और वह है तानाषाही। भारतीय राजनीति की अव्यवस्था से परेषान होकर यहॉ के लोगों ने तानाषाही को भी स्वीकार करने का मन बना लिया है। जिसका स्पष्ट आभाष संघ परिवार और नरेंन्द्र मोदी की तूफानी बाढ मे दिखाई देता है।

यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर दलों का ऑकलन करें, तो नीतियॉ बनती है विचारों के आधार पर, और कार्य होता है और संस्कारों के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि विधायिका मे अधिक से अधिक विचारवान लोग होने चाहिए भले ही चरित्र का मापदण्ड ऑषिक रूप से कमजोर भी क्यों न हो। दूसरी ओर कार्यपालिका मे ईमानदार लोगों का बहुमत होना चाहिए, अर्थात कार्यपालिका में चरित्र महत्वपूर्ण है, वैचारिक दृष्टि से ऑषिक कमजोरी भी चल सकती है। इस मामलें मे नरेंन्द्र मोदी या संघ परिवार बहुत पीछे है, क्योंकि वे संस्कारों पर जोर देते हैं, जिसका अंतिम परिणाम होता है चरित्र और विधायिका की आवष्यकता है विचार प्रधान लोंगों की। इस मामलें मे साम्यवादियों का भी अलग सोच नही है। संघ परिवार इस संस्कार से जुडा हुआ है कि जो कुछ पुराना है वही अच्छा है जबकि साम्यवाद इस संस्कार मे जुडा हुआ है कि जो कुछ पुराना है वह गलत है। वास्तविकता यह है कि लोकतंत्र में विधायिका को देष, काल, परिस्थिति अनुसार स्वतंत्र विचार करने की आदत डालनी चाहिए। इस मामलें मे राहुल गॉधी की भूमिका सबसे अच्छी है। मैं तो तब से उनका और अधिक प्रषंसक हो गया जब से कॉग्रेंस पार्टी के जिम्मेदार समूह ने जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की वकालत शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ मुलायम सिंह ने डरते–डरते हल्की सी यह बात कही है, अन्यथा अन्य राजनैतिक दल

जिनमें संघ परिवार भी शामिल है, इस बात को समझते हुए भी तथा सहमत होते हुए भी इसके विपरित ही बोलते रहतें हैं। कॉग्रेस पार्टी ने यह खतरा उठाकर एक बहुत अच्छा काम किया है।

कॉग्रेस पार्टी ने राहुल गॉधी के नेतृत्व मे अवष्य ही कुछ–कुछ लोकतंत्र को लोकस्वराज्य की दिषा मे मोडने की बातें शुरू की किन्तु ये बातें बहुत देर से शुरू हुई और दूसरा इस परिवार पर भारत की जनता का अब कोई विष्वास नही रहा। इसलिए ईमानदार प्रयत्न होने के बाद भी भारत की जनता अब इन पर विष्वास नही कर रही। ऐसे समय में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर अरविंद केजरीवाल का अभ्युदय एक आषा की किरण जगाता है। अरविंद केजरीवाल के भी क्रिया–कलाप बिलकुल साफ नही है। उनमें भी व्यक्ति केन्द्रित राजनीति का प्रभाव बढ रहा है। उनमें भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का घालमेल साफ दिखाई देता है किन्तु अब तक अरविन्द केजरीवाल और उनके दल में न तो कोई तानाषाही की अवधारणा दिखी है न कोई परिवार वाद की। इतना अवष्य है कि इस दल की भी कोई विचारधारा स्पष्ट नही है, किन्तु इतना अवष्य है कि या तो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आगे बढेगी अथवा लोकतंत्र ऑषिक रूप से लोकस्वराज्य की दिषा मे झुकेगा।

चुनावों को सिर्फ दो–तीन महीने ही बचें हैं, अरविन्द केजरीवाल के दल को भी प्रकाष मे आये एक महीना ही बीता है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि नरेंन्द्र मोदी और संघ परिवार को महसूस होने लगा है कि जेल में जन्म लेने वाला बालक हो सकता है कृष्ण ही हो। संघ परिवार और नरेंन्द्र मोदी भी इस अकस्मात घटना से चिंतित हैं और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहें हैं। कॉग्रेंस पार्टी की स्थिति सॉप–छछुन्दर की हो गई है। उसे न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। उसे अपना पराभव तो निष्चित दिखता है किन्तु वह सोच नही पा रही है कि अरविन्द केजरीवाल के साथ होकर अपनी थेडी–मोडी साख बचा लें या अंन्त तक लडते–लडते षहीद हो जाएं।

कॉंग्रेस पार्टी को यह तो आभाष हो चुका है कि सत्ता में बने रहना असंभव है। कॉग्रेंस पार्टी ने सोचा था कि उसकी चुनाव पूर्व की गई कुछ अच्छी घोषणाएँ उसे जन विष्वास दिला सकेंगी, किन्तु एक तो उसने परिवार केंन्द्रित राजनीति से बाहर निकलने का निर्णय नही किया, दूसरे उसने राहुल गॉधी सरीखे एक संत हृदय राजनीति के अनाडी खिलाडी पर अपना दॉव लगाया और तीसरे उसने परिवार मोह में पडकर मनमोहन सिंह को इस सीमा तक बदनाम कर दिया कि मनमोहन सिंह की असफलता उनके स्वयं के गले की हड्डी बन गई। फिर भी अभी यह परिवार दौड से बाहर होने को तैयार नही है। जिसका अर्थ हुआ कि भले ही हम डूबेगें तो डूबेगें किन्तु हम डूबने के पहले किसी और को आगे क्यों आने दें। चुनाव पूर्व सोनिया गॉधी की अब तक की सारी चालें नाकाम हो चुकी है और अब तो सिर्फ दो–तीन महीने ही बचे हैं। ऐसी स्थिति मे स्पष्ट दिखता है कि लडाई नरेंन्द्र मोदी बनाम अन्य के बीच ही होने वाली है, जिसके अंतिम परिणाम के रूप मे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। स्पष्ट दिखता है कि एक तरफ संघ परिवार और नरेंन्द्र मोदी की जुगलबंदी है तो दूसरी तरफ अनेक स्वार्थी राजनेताओं का संयुक्त समूह। नरेंन्द्र मोदी अभी सबसे आगे दिख रहें हैं जिनकी गति बहुत तेज है, फिर भी वे चुनाव तक कहॉ तक निकल पाएंगें यह पता नही।

फिर भी अब हमारे पास भी इतना समय नही बचा है कि हम अपनी सलाह देने के लिए और अधिक प्रतीक्षा करें। मेरे विचार मे भूलकर भी कॉगेंस पार्टी को वोट देना परिवार वादी गुलामी को स्वीकार करने के अतिरिक्त कुछ नही है। दूसरी ओर नरेंन्द्र मोदी को वोट देना भी कुऍं से निकलकर खाई मे गिरने सरीखे होगा, क्योंकि यदि नरेंन्द्र मोदी के पास समस्याओं का समाधान है तो गुलामी का खतरा भी है। अन्य दलों के पास गुलामी का खतरा तो नही है, किन्तु समस्याओं का समाधान भी नही है। ऐसे समय मे अरविन्द केजरीवाल का व्यक्तित्व अथवा उनका दल ही एकमात्र ऐसा विकल्प दिखता है, जिसे वोट देकर आत्म–संतुष्ट हुआ जा सकता है। मैं जानता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल की स्वतः अथवा किसी अन्य को प्रधानमंत्री बनाने की संभावना लगभग नही के बराबर है। मैं यह भी जानता हूँ कि अरविन्द केजरीवाल को वोट देने का मतलब वोट को समुद्र मे डाल देने जैसा है। किन्तु मेरा यह अवष्य मानना है कि अरविन्द केजरीवाल को दिया गया वोट भविष्य की आत्मग्लानि से अवष्य बचाएगा कि मैं किसी परिवार या किसी तानाषाह का समर्थन करने के पाप मे भागीदार नही हूँ। अरविन्द केजरीवाल को दिया गया वोट निरर्थक भी हो सकता है और सार्थक भी किन्तु इतना निष्चित है कि वह वर्तमान राजनैतिक दिषा को इसी तरह आगे बढने मे सहायक तो नही होगा। मेरी अरविन्द केजरीवाल जी को भी सलाह है कि वे धीरे–धीरे लोकस्वराज्य की दिषा मे एक–एक कदम बढते हुए दिखे, जिससे हम सब और अधिक विष्वासपूर्वक अपनी बात को कह सकें।

4 श्री गुरप्रीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान ज्ञानतत्व –50513 प्रश्न–ज्ञान

तत्व का अंक–311 पृष्ठ संख्या 06 पर जो महिला सशक्तिकरण का विषय प्रस्तुत किया गया वह वास्तव मैं विचारणिय प्रश्न है। वास्तव मैं कुछ महिला संगठन हैं जो इन परिस्थियाँ पर सार्थक बहस नहीं चाहते। एक तरफ फिल्मों,टीवी. पर बढती अश्लीलता को महिला सशक्तिकरण का नाम यही संगठन देते हैं, तो वहीं भारतीय सभ्यता के अनुकूल परँपरा का अनुसरण करने वाली महिलाओँ

को ये संगठन पुरातन पंथी बता देते हैं।बात करँ वकील एपी. सिँह की तो उनके जला दूंगा शब्दों के अतिरिक्त कुछ भी गलत नहीं था, पर वही तथाकथित महिला संगठन बात का अर्थ न समझ सके ना किसी को समझने देते हैं। राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी का कहना है कि नारी तो पुरुष से उच्च पद पर विराजित है पर कुछ महिला संगठन समानता के चक्कर मैं नारी को इस पद से नीचे लाना चाहते है। वकील एपी. सिँह के शब्दों मैं मै झाँसी की रानी की बात करता हूँ, और महिला संगठन सन्नी लियोन की।

उत्तर–यह एक जाना माना सिद्धान्त है कि यदि किसी वर्ग विषेष को विषेष अधिकार दिये जायेगे तो उस वर्ग विषेष के अपराधी तत्व उसका लाभ उठायेंगे। किसी भी वर्ग को विषेष सुविधा तो दी जा सकती है किन्तु विषेष अधिकार देना बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। ऐसा ही दुरूपयोग पिछले एक सप्ताह की महिलाओ की चार घटनाओं से स्पष्ट हुआ।

दिल्ली मे कोई महिला स्कूटर चलाने के नियम तोडकर गलती करती है। पुलिस वाला उसे चालान करना चाहता है तो वह उसे अपमानित करती हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि वह महिला उस पुलिस वाले को पत्थर मारती है जिसके जबाब मे पुलिस वाला भी उस महिला को पत्थर मारता है । वह एक महिला होने के कारण विषेष छूट पा जाती है । और पुलिस वाले को सिर्फ इस गलती के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तथा जेल मे बंद कर दिया जाता है। वह महिला पुलिस वाले पर घूस मांगने का भी आरोप लगा देती है जो बाद मे सिद्ध नही होता।

एक दूसरी घटना मे मनोज वषिष्ठ नामक व्यक्ति जिसपर देष के कई प्रदेषों के धोखाधडी जालसाजी के पचासो अपराध दर्ज हुए थे, तथा वह कई बार पुलिस के घेरे जाने के बाद भी भागने मे सफल हो गया था, ऐसे दुर्दान्त धोखेबाज को पकडने के लिये पुलिस ने विषेष तैयारी की। वह व्यक्ति हमेषा अपने साथ कुछ दादा लोगो को सुरक्षा के लिये भी रखता रहा है। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे किसी होटल मे पकडने की कोषिष की तो उस व्यक्ति ने गिरफतारी का विरोध किया । कहा जाता है कि मारपीट छीना झपटी मे उसने पिस्तौल से गोली चलाई जिसके जबाब मे पुलिस वालो ने उसके सिर मे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मनोज ने गोली चलाई या नही यह जांच का विषय है किन्तु वह अपराधी था, लम्बे समय से उसे पकडने के लिये पुलिस परेषान थी। होटल मे भी गिरफतारी के बाद उसने भागने का प्रयास किया। इतना सच होने के बाद भी पुलिस द्वारा चलाई गई गोली पर मनोज की पत्नी के कहने से अनेक तरह के तुफान खडे किये गये है। यहां तक कि मनोज के पक्ष मे अनेक लोगो ने वहां कैडिल मार्च तक निकाला। स्पष्ट है कि मनोज का एक बडा गिरोह रहा होगा जो उसे बचा रहा होगा। यह भी स्पष्ट है कि मनोज की पत्नी पर भी धोखाधडी के कई आरोप लगे हुए है। मुझे आष्चर्य हुआ कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसकी बात सुनकर पुलिस वालो पर प्रष्न खडे कर दिये। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविन्द केजरीवाल तो 24 घंटे 365 दिन इसी फिराक मे रहते हैं कि कोई दिल्ली पुलिस के खिलाफ झुठ का भी हल्ला हो और अरविन्द केजरीवाल सबसे पहले पुलिस के विरूद्ध हल्ला करने वाले के समर्थन खडे हो जाये। जिस पुलिस वाले ने महिला को इंट मारी थी उसको भी तत्काल अरविन्द जी ने बहुत सम्मान दिया। भले ही 2 दिन बाद न्यायालय ने उस महिला के खिलाफ टिप्पणी कर दी। इसी तरह मनोज हत्या के मामले मे भी अरविन्द केजरीवाल ने बहुत जल्दबाजी मे जांच बिठाने का ऐलान कर दिया। भले ही उन्होने अपने पूरे जीवन मे किसी अपराधी को पकडवाने मे कोई सहायता न की हो। फिर भी मै समझता हूँ कि राजनाथ सिंह और अरविन्द केजरीवाल मे बहुत फर्क है और राजनाथ सिंह को संदेहास्पद अपराधियों तथा पुलिस के बीच अंतर करना चाहिये। मै स्पष्ट कर दूं कि आज भारत मे वर्षो से यह गलत धारण फैलाई गई है कि जब तक कोई अपराधी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध धोषित न हो तब तक उसे निर्दोष मानना चाहिये। यह धारणा पूरी तर गलत है। वास्तविकता यह है कि पुलिस का आरोपी न निर्दोष होता है न ही दोषसिद्ध । पुलिस के द्वारा जिस व्यक्ति को दोषी मानकर न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाता है वह संदेहास्पद अपराधी माना जाना चाहिये ।तब तक जब तक न्यायालय उसे निर्दोष या दोषी घोषित न कर दे।

उत्तर प्रदेष की एक तथाकथित साध्वी ने किसी गाडी से जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता के गार्ड पर यह आरोप लगा दिया कि उस गार्ड ने उस साध्वी पांडेय बहनों की ओर आख से भददा इषारा किया। उस साध्वी ने महिला होने का लाभ उठाकर सडक पर ही नाटक करना शुरू कर दिया । वह महिला उस नेता की गाडी के उपर चढकर शीषे फोडने लगी, मोबाइल तोडने लगी, और वह सबकुछ करने लगी जिसे देखकर टीवी वाले उस महिला को चंडी या मर्दानी कहने लग जाये। मुझे तो उस महिला के कारनामे को देखकर साध्वी कहने मे भी शर्म महसूस हो रही है। उसने चलती गाडी मे आख से किया गया इषारा इतनी आसानी से समझ लिया ऐसी समझदारी भी किसी ट्रेन्ड महिला को ही हो सकती है। मैने देखा कि मीडिया वाले ने भी उस महिला का ही पक्ष लिया। इस बात को समझे बिना कि वह महिला देष मे कितनी प्रमाणित सत्यवादी है और आरोपी गार्ड कितना घोषित लुच्चा लफंगा। इस विषय मे मैने आज ही शाम ए बी पी न्युज पर एक बहस सुनी जिसमे तथाकथित समाजवादी नेता अभिनव शर्मा जो गाडी मे था वह भी था। मैने स्पष्ट देखा कि एंकर महिला सुमेरा अभिनव शर्मा को अंत तक इतना भी नही बोलने दी कि उसके गार्ड ने क्या किया अथवा वास्तविक घटना क्या है। ज्यो ही वह एक लाइन बोलता त्यो ही एंकर उसे डिस्टर्ब कर देती थी। मैने यह भी देखा कि बाकी सब लोग भी उस लडके को एक लाइन भी नही बोलने दिये। यह स्पष्ट ही नही हुआ कि घटना क्या हुई । एकाएक उस लडके के बगल मे सम्भवतः उसकी बहन आकर बैठ गई और उसने सारे नियम कायदे तोडते हुए जिस दबंगई से अपनी बात रखी तो सुमेरा सहित सबकी आवाज बंद हो गई ।

एक चौथी घटना म0 प्र0 के मंत्री बाबू लाल गौर की है जिन्होने अपने विदेष दौरे के समय महिलाओं और पुरूषो के बीच कम दूरी के उदाहरण दिये। उन्होने ऐसे कई उदाहरण दिये जिन्हे भारतीय सभ्यता मे अष्लील माना जाता है और पाष्चात्य सभ्यता मे नही। उन्होने स्वयं भी कहा कि दोनो संस्कृतियो मे अंतर है। गौर जी इन बातो से दुखी तथाकथित महिला ठेकेदार मैदान मे कुद पडी कि बाबूलाल गौर माफी मांगे। वे महिलाएं टी वी मे आकर गौर की आलोचना करने लगी। जिनका रोज का टी वी मे आकर पुरूषो के खिलाफ कुछ भी बोलना एक तरह का अप्रत्यक्ष धंधा हो गया है।

इन चार उदाहरणो से मै स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी वर्ग विषेष को विषेषाधिकार देना बहुत घातक होता है। खासकर महिला सषक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को दिया गया विषेषाधिकार तो घातक सिद्ध हो ही गया है। ऐसा ही जल्दबाजी मे दहेज संबंधी कानून बनाकर सरकार अपने कदम वापस खीचने को मजबूर हो रही है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने जो जो कदम उठाये है उनके दुष्परिणाम तो बहुत जल्दी दिखने लग जायेगे। देखिये आगे आगे क्या होता है।

श्री गुलाब कोठारी जी से भी मै सहमत नही हूँ। समाज मे तो महिलाओ को अधिक सम्मान मिला किन्तु परिवार व्यवस्था मे महिलाओं को समान अधिकार नही मिला। वास्तव मे यह समस्या स्वाभाविक रूप से पैदा हुई न कि पुरूषो की गलत सोच के कारण। विवाह के समय ही महिलाओं का अधिक योग्य पुरूष के साथ विवाह होकर पति घर मे जाना स्वयं ही पुरूष प्रधानता का लक्षण है। अब महिलाओं की संख्या घट रही है और कुछ ही वर्षो मे महिलाओं का सषक्त होना प्रारंभ हो गया है जो आगे और बढेगा। पुरूष प्रधान मान्यता वाले सामाजिक लोग या राजनेता महिलाओं की घटती संख्या से चिंतित होकर उनकी संख्या बढाने के प्रयत्न मे अभी से लग गये है। मै आष्वस्त हूँ कि महिलाओं की संख्या घटेगी, महिला सषक्तिकरण होगा और महिलाओं को वोट बैक समझकर आधुनिक महिलाओं तथा परंपरागत परिवारों की महिलाओं के बीच विवाद पैदा करने वालों का मन्सूबा कभी पूरा नही होगा।

कार्यालयीन प्रष्नोत्तर

1 पाकिस्तान के धर्म गुरूओ ने आत्मघाती हमलो को गैर इस्लामी करार दिया।

लाहौर 18 मई। पाकिस्तान में 200 धार्मिक विद्वानो ने आत्मघाती हमलो को गैर इस्लामी करार देते हुए फतवा जारी किया है। विद्वानो ने कहा कि इस्लामी सरकारों को तालिबान, आई एस आई एस और अलकायदा जैसे विद्रोही समूहो को कुचलना ही होगा। रविवार को आयोजित एक सम्मेलन के बाद विभिन्न इस्लामी फिरकों से ताल्लुक रखने वाले धर्म गुरूओ की ओर से जारी फतवे मे कहा गया कि तहरीक ए तालिबान, अलकायदा, आइ

एस आईएस, बोको हरम, अल शबाब, और इस तरह के अन्य और कथित जिहादी संगठनो की विचारधारा गुमराह करने वाली है। उनके कृत्य गैर इस्लामी है और सोच इस्लाम के कम ज्ञान पर आधारित है। फतवे मे कहा गया,कि इन संगठनों की जिहाद कार्यपद्धति जिहाद की इस्लामी शर्तो के खिलाफ हैं और जातीय नरसंहार मे शामिल तत्व फसाद (हिंसा) के दोषी है क्योकि इस्लाम जातीयता के नाम पर कत्लेआम की इजाजत नहीं देता और इस तरह के विद्रोहियों को कुचलना इस्लामी सरकारो की जिम्मेदारी है। इसमे यह भी एलान किया गया कि पोलियों रोधी अभियान का विरोध करने वाले लोग और महिला स्वास्थ कार्यकर्ताओ की हत्या करने वाले सबसे बडे अपराधी हैं। तालिबान पोलियो रोध अभियान के खिलाफ है और महिलाओं सहित अनेक पोलियो रोधी कार्यकर्ताओ की हत्या कर चुका है। फतवे मे यह भी कहा गया है कि गैर मुसलमानों के धर्म स्थलों पर हमले करना सबसे बडा पाप और जघन्य अपराध है जबकि गैर मुसलमानों की रक्षा करना किसी भी इस्लामी देष के लिये अनिवार्य है।

समीक्षा– पाकिस्तान के मुस्लिम धर्मगुरूओं ने यह फतवा जारी करके बहुत ही बुद्धिमानी और हिम्मत का काम किया है। पता नही भारत के मुस्लिम धर्मगुरू ऐसी सामुहिक पहल क्यो नही कर रहे है। वैसे ए टु जेड टी वी मे मोहम्मद काजमी साहब के विचार मैने कई बार सुने। इसी तरह के विचार कुछ अन्य लोगा भी टी0 वी0 मे देते रहते हैं जो आन्ध्र के कटटर मुस्लिम सांसद औबैसी बंधु अथवा उत्तर प्रदेष के मंत्री आजम खान की भी खुली आलोचना करते है किन्तु ऐसी आलोचना करने वालो की संख्या बहुत कम है तथा ऐसे लोग कभी सामुहिक बयान जारी कर कटटरवाद की खुली निन्दा नही करते। यह भी संभव है कि कुछ समूह ऐसा करते भी हों किन्तु कटटरवादियों से भय के कारण वे बाते प्रकाष मे न आती हो। जैसे पाकिस्तान मे प्रस्ताव पारित हुआ उसी तरह का प्रस्ताव भारत मे भी पारित होना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि भारत के हिन्दू धर्मगुरूओ को भी प्रवीण तोगडिया सरीखे जहर उगलने वाले तथाकथित हिन्दू धर्म के ठेकेदारो के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित करना चाहिये।

उत्तरार्ध

अपनों से अपनी बात

संगठन विचारों की कब्र होता है। बिना संगठन के विचार कभी क्रियान्वयन की दिषा में आगे नहीं बढ़ सकते किन्तु किसी भी विचारक द्वारा किसी संगठन के साथ जुडते ही उसके विचारों में देष काल परिस्थिति अनुसार संषोधन या नये विचारों का समावेष रुक जाता है। न विचार मंथन की प्रक्रिया रुके न ही विचारक की मृत्यु के साथ ही उसके द्वारा सोचे गये विचार भी साथ चले जावें ये दोनों प्रक्रियाऍ एक साथ संभव नहीं और एकसाथ करना अनिवार्य भी है। अब मेरी उम्र छिहतर की है। मैं कभी भी जा सकता हूॅ और अब तक के स्वास्थ अनुसार दस बारह वर्ष रह भी सकता हूॅ। अतःबहुत सोच समझ कर तय हुआ कि एक संगठन बने किन्तु वह संगठन आप सब मिलकर बनावें तथा मैं निर्लिप्त भाव से स्वतंत्र विचार मंथन करता रहूॅ।

बाइस जून चौदह को जन्तर मन्तर पर दस दिवसीय धरने के बाद संगठन की प्रक्रिया षुरु हुई। संगठन का नाम व्यवस्थापक अर्थात् व्यवस्था परिर्वतन अभियान कमेटी रखा गया। पिछले दो माह से कार्यालय भी अम्बिकापुर से अलग होकर बदरपुर दिल्ली चला गया है।चार मुद्दों को व्यवस्था परिर्वतन का प्रारंभिक आधार मानकर जन जागरण की तैयारी प्रारंभ है।जन जागरण के निमित्त एक लोक स्वराज बिल का प्रारुप बना जो हमारी एक मात्र मॉग होगी। बिल का प्रारुप ज्ञानतत्व के पिछले अंक में प्रकाषित हुआ था, तथा पुनः इस अंक मे भी प्रकाषित हो रहा है।

यह कार्य दो प्रकार से संभव है (1)चुनावों के माध्यम से संसद में जाकर इस बिल को पारित करना।(2)वर्तमान सांसदो पर जनमत का दबाव बनाकर बिल को पारित करवाना। दोनों ही मार्गों पर पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क हैं। हम अभी इस बहस को किनारे करके दोनों ही मार्गो से सामंजस्य करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक की योजनानुसार हमारे संगठन सचिवों की टीम ही हमारी प्रवक्ता होगी किन्तु ये संयोजक मंडल अथवा केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक में सक्रिय भाग नहीं ले सकेंगे। दूसरी ओर संयोजक मंडल या केन्द्रीय कार्य समिति अपना निर्णय संगठन सचिवों के द्वारा ही घोषित करा सकेंगे। संगठन सचिव के अतिरिक्त किसी की भी कही गई बात उनकी व्यक्तिगत राय मानी जायगी,संगठन की नहीं। संगठन सचिव तथा संयोजक मंडल के सदस्य न कोई राजनैतिक दल बना सकेंगे न ही सदस्यता ग्रहण करेंगे किन्तु केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य सहित सभी लोग राजनीति करने या न करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

किसी भी व्यक्ति के लिये संगठन की सदस्यता के आकलन के लिये पात्रताऍ होंगी।(1)जो साथी गॉव स्तर तक दस लोगो की स्थानीय कमेटी बना सकेंगे वे गॉव के संयोजक तथा ब्लॉक कमेटी के सदस्य होंगे। जो साथी सौ गावों को मिलाकर एक विकासखंड स्तरीय कमेटी बनाने की क्षमता रखते हैं वे विकासखंड के संयोजक तथा लोक प्रदेष समिति के सदस्य होंगे। जो सौ ब्लॉक को मिलाकर एक लोक प्रदेष कार्यकारिणी बनाने की क्षमता रखते हैं वे लोक प्रदेष प्रमुख तथा केन्द्रीय कार्यसमिति के सदस्य होंगे। अनुमानित सवा करोड की आबादी का एक लोक प्रदेष,सवा लाख का एक जिला या ब्लॉक तथा सवा हजार का एक गॉव या वार्ड होगा। इस तरह पूरे देष में सौं लोक प्रदेष एक लोक प्रदेष में सौ जिले या ब्लॉक तथा एक लोक जिले में सौं गॉव या वार्ड होंगे।नीचे वाली समिति का अध्यक्ष उपर वाली समिति का सदस्य हो भी सकता है और समिति चाहे तो उनकी जगह कोई अन्य व्यक्ति भी उपर वाली समिति का सदस्य बनाया जा सकता है।

आप में से अधिकांष की क्षमता हम नहीं जानते। आवष्यक है कि आप अपनी क्षमता का स्वयं आकलन करके हमें सूचना मात्र दें। कमेटियों का आगामी विधिवत् चुनाव तो तेइस जून के आसपास दो हजार सत्रह को संभव है। तब तक के लिये आप सबकी सूचना तथा सक्रियता के आधार पर तदर्थ घोषणा संभव है। आप सबके सहयोग से ही यह कार्य संभव हैं। अनेक साथी इस काम को अभी असंभव मानकर नहीं जुडना चाहते। जो साथी असंभव होने के बाद भी अनिवार्य आवष्यकता समझ कर असंभव को संभव करने में अपनी यथा संभव आहुति देने की इच्छा रखते हैं वे इस काम से जुड़े। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पत्र या फोन द्वारा अम्बिकापुर या दिल्ली सूचित करने की कृपा करें कि आप गॉव,लोक जिला या ब्लॉक,लोक प्रदेष,केन्द्र में से किस कमेटी का दायित्व स्वीकार कर सकते हैं। आपके उत्तर की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

आपका

बजरंगमुनि

व्यवस्थापक

केन्द्रीय कार्यालय– बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा (छत्तीसगढ) 497001 मो0–9617079344	संगठन सचिव नरेन्द्र सिंहजी–9012432074 अभ्युदय द्विवेदी जी–9302811720 कार्यालय सचिव टीकाराम जी–8826290511	षिविर कार्यालय राजपुत निवास, ए–20 फस्ट फलोर, मोलर बंद एक्सटेंषन, 60 फुटा रोड, बदरपुर दिल्ली vyavasthapak@rediffmail.com

लोक स्वराज्य बिल

1. उद्देश्य : 'तंत्र', नियुक्त होने के आधार पर, 'स्वयं को सरकार' कहने या समझने के स्थान पर 'प्रबंधक' या 'मैनेजर' समझे तथा कहे। दूसरी ओर 'लोक' स्वयं को 'नियोक्ता होने' के आधार पर 'मालिक' समझे तथा कहे। 'लोकतंत्र' का अर्थ 'लोक नियुक्त तंत्र' के स्थान पर 'लोक नियंत्रित तंत्र' हो।

2. कार्य : प्रथम चरण मे चार कार्य किये जाये – 1. परिवार, गांव, जिले को संवैधानिक मान्यता तथा अधिकार, 2. लोक संसद, 3. राइट टू रिकाल, 4. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता

3. कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायाधीश तथा एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मिलकर व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग चार आयोगों का गठन करें। ये चारों आयोग एक वर्ष के भीतर संसद को अपनी रिर्पोट दें।

4. आयोग के कार्य : प्रथम विषय : परिवार

क–परिभाषा

1 पिता, माता और नाबालिग संतान की वर्तमान परिभाषा

2 'संयुक्त संपत्ति' तथा 'संयुक्त उत्तर दायित्व' के आधार पर एक साथ रहने हेतु सहमत व्यक्तियो का समूह

3 कोई अन्य

ख–अधिकार

1 विवाह, सन्तानोत्पत्ति, सम्पत्ति विभाजनकर्ता की नियुक्ति, कर्ता के अधिकार,भोजन, वस्त्र, शिक्षा,रोजगार आदि के स्वतंत्र अधिकार ।

'गांव' क– परिभाषा

1 वर्तमान परिभाषा

2 एक सौ पचीस करोड आबादी के समय 750 से 1750 तक की आबादी को एक गांव या वार्ड घोषित करना जिससे पूरा देश दस लाख गॉवों में बंट जाये।

3 कोई अन्य

ख–अधिकार

शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ ,ग्रामीण सड़क, कुँआ आदि जल व्यवस्था, साफ सफाई, स्थानीय स्तर की अर्थ व्यवस्था आदि।

'जिला'– क –परिभाषा : 1. वर्तमान 2. औसत सवा लाख की आबादी। 100 गांव को मिलाकर एक जिला

3 कोई अन्य

ख– अधिकार : एक से अधिक गांवो को एक साथ जोडने वाली ऐसी सडक, स्कूल, अस्पताल, पशु, चिकित्सा, जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, जल प्रदाय, जिला स्तर तक की आर्थिक स्थिति आदि अनेक वे कार्य जो प्रदेश या केन्द्रीय व्यवस्था की न हो।

5. लोक संसद : द्वितीय विषय

क – निर्माण

1 रेन्डम प्रणाली से नियुक्त 543 प्रतिनिधि

2 संविधान सभा के नाम पर लोक सभा चुनाव के साथ ही दल विहीन पद्धति से चुने गये 543 प्रतिनिधि

3 सरकारी कालेजो के चुने गये एक सौ प्राचार्य जिन्हे बीए या उपर के सरकारी कालेजो के प्रोफेसर ही वोट दे । साथ ही पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान मंत्री तथा पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशो मे से संसद द्वारा चुने गये ग्यारह लोग जो किसी दल से न जुडे हों।

ख : कार्य

1 संविधान संशोधन में वर्तमान संसद के समान भूमिका

2 सांसदो के वेतन भत्तो के निर्धारण मे संसद के समान भूमिका

3 लोक पाल चयन

4 किन्ही दो संवैधानिक इकाइयों के बीच विवाद का निर्णय

5 कोई अन्य कार्य – जो विधायिका न्यायपालिका या कार्यपालिका से जुडा न हो

ग : विशेष

1 लोक संसद का चुनाव निर्दलीय आधार पर होगा।

2 लोक संसद का कोई स्थायी वेतन भत्ता नही होगा। आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर भत्ता देय होगा।

3 यदि संसद और लोक संसद किसी विषय 1 या 2 पर अंतिम रूप से असहमत होते है तो अंत में जनमत संग्रह से निर्णय होगा।

6 तृतीय विषय : राइट टू रिकॉल

क– लोक सभा के किसी सांसद की संसद सदस्यता संसद या दल समाप्त नही कर सकेगा।

ख –लोक सभा सांसद की सदस्यता समाप्ति के लिये निम्नाकित मे से कोई विधि होगी।

1 लोक सभा, संबद्ध राजनैतिक दल, संबंधित लोक सभा क्षेत्र के निर्वाचित ब्लाक अध्यक्ष, अथवा किसी अन्य व्यवस्था द्वारा विधिवत प्रस्ताव करने पर उस क्षेत्र के मतदाता, रेन्डम पद्धति से चुने गये मतदाता, सभी चुने गये पंच या सरपंच, अथवा किसी अन्य प्रणाली से कराये गये मतदान द्वारा निर्णय

7. चतुर्थ विषय : प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता

क – परिभाषा :

1– व्यक्ति का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से होगा। उम्र लिंग आदि भेद नही किया जायगा

2 मूल रूपया का अर्थ है 23 जुन 2014 के बाद की मुद्रा स्फीति को जोडकर

3 कृत्रिम उर्जा का अर्थ है डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस, मिट्टी तेल, कोयला।

ख– व्यवस्थाः पूरी आबादी की न्यूनतम आधी निचली आबादी को प्रति माह प्रति व्यक्ति दो हजार मूल रूपया जीवन भत्ता सरकार द्वारा देय होगा।

ग– क्रमांक ख के लिये धन की व्यवस्था हेतु कोई एक व्यवस्था की जायेगी।

1 सम्पूर्ण सम्पत्ति पर समान कर

2 एक निश्चित सीमा से अधिक सम्पत्ति पर कर

3 कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि

4 कोई अन्य उपाय

8. यदि किसी आयोग की सलाह को संसद अंतिम रूप से अस्वीकार कर देगी तो जनमत संग्रह द्वारा अंतिम निर्णय होगा।

मेरी ओर से विचारित कुछ विषयो की सूची–

आपराधिक

(1) चोरी, डकैती, लूट (2) आतंकवाद और समाधान (क) नक्सलवाद (ख) मुस्लिम आतंकवाद (3) आपराधिक आतंकवाद (3) अपराध, गैरकानूनी, अनैतिक का फर्क (4) अपराध वृद्धि कारण और निवारण (5) शोषण अपराध या अनैतिक (6) मृत्युदण्ड समीक्षा (7) मिलावट कितना अपराध कितना अनैतिक (8) जालसाजी धोखाधडी

महिलाओं से जुडी

(1) बलात्कार (2) महिला आरक्षण समस्या या समाधान (3) कन्या भ्रूण हत्या कितनी समस्या और कितना नाटक (4) दहेज प्रथा (5) महिला उत्पीडन समीक्षा (6) महिला वर्ग या परिवार का अंग (7) पर्दा प्रथा (8) सती प्रथा (9)कौन ठीक? परंपरागत या आधुनिक महिलाएं

आर्थिक

(1) आर्थिक असमानता (2) नयी अर्थ नीति (3) श्रम शोषण (4) गरीबी रेखा (5) बेरोजगारी (6) मंहगाई भ्रम या यथार्थ (7) सभी आर्थिक समस्याओं का एक आर्थिक समाधान (8) स्वतंत्र अर्थ पालिका (9) ग्रामीण और शहरी व्यवस्था (10) प्राकृतिक उर्जा और कृत्रिम उर्जा (11) हमारी आदर्ष कर प्रणाली

चारित्रिक

(1) भ्रष्टाचार (2) चरित्र पतन व्यक्तिगत या व्यवस्थागत (3) चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन (4) भावना या विचार (5) ज्ञान यज्ञ का महत्व और तरीका

धार्मिक

(1) धर्म और सम्प्रदाय (2) जाति और वर्ण व्यवस्था (3) जातीय आरक्षण (4) धार्मिक आरक्षण (5) इस्लाम अब तक और आगे (6) धर्म और संस्कृति (7) साम्प्रदायिकता (8) गाय, गंगा, मंदिर, मुद्दे समस्या और समाधान (9) संगठन कितना उचित कितना अनुचित (10) भारतीय संस्कृति हिन्दू संस्कृति का फर्क (11) आर्य समाज सर्वोदय संघ समीक्षा (12) संघ इस्लाम और साम्यवाद की समीक्षा (13) बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे और समाधान

संवैधानिक

(1) भारतीय संविधान समीक्षा (2) मूल अधिकार (3) ग्राम सभा सषक्तिकरण (4) राइट टू रिकाल (5) व्यक्ति और नागरिक का फर्क (6) नई संवैधानिक व्यवस्था का स्वरू (7) लोक संसद (8) राज्य के दायित्व और स्वैच्छिक कर्तब्य का फर्क (9) संविधान मे स्वतंत्रता महत्वपूर्ण या समानता

सामाजिक

(1) समाज तब और अब (2) व्यक्ति, परिवार, समाज (3) संयुक्त परिवार व्यवस्था में बाधाएं और समाधान (4) वर्ग विद्वेष या वर्ग समन्वय (5) साहित्य और विचार का अंतर (6) विवाह पद्धति (7) धर्म, समाज, और राज्य

राजनैतिक

(1) तानाषाही, लोकतंत्र लोक स्वराज्य (2) संसदीय लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र (3) पूंजीवाद, समाजवाद , साम्यवाद (4) व्यवस्था परिवर्तन क्योः क्या, कैसे

अन्य

(1) हिंसा या अहिंसा (2) गांधी मार्क्स , अम्बेडकर (3) गांधी, भगतसिंह , सुभाष चंदबोस (4) गांधी और गोडसे (5) नेहरू पटेल अम्बेडकर (6) भारत का विभाजन भूल या मजवूरी (7) कष्मीर समस्या (8) संयुक्त परिवार प्रणाली (9) न्यायिक सक्रियता कितनी उचित कितनी अनुचित (10) पुलिस और न्यायालय के संबंधो की समीक्षा (11) ज्ञान और षिक्षा का महत्व (12) भाषा कितनी वैचारिक कितनी भावनात्मक (13) समीक्षा, आलोचना, विरोध और संघर्ष का अंतर (14) अमेरिका हमारा प्रतिद्वदी, विरोधी या शत्रु (15) दान चंदा और भीख का फर्क (16) उपदेष, प्रवचन, भाषण और षिक्षा का फर्क (17) स्वदेषी का प्रचार कितना आवष्यक (18) सुख और दुख की उत्पत्ति (19) भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र कितना भ्रम कितना वास्तविक (20) निषकर्ष निकालने मे परिभाषाओ का महत्व (21) समस्याओ के समाधान मे हमारी प्राथमिकताएं (22) शराफत , शमझदारी और धूर्तता मे फर्क (23) प्रषंसा, समर्थन, सहयोग , सहभागिता मे अंतर

नोट– उपर मे मैने इक्यानवे ऐसे विषयों का उल्लेख किया है जिनपर मैने लीक से हटकर कुछ सोचा है और कुछ लिखने बोलने की शक्ति अनुभव की है। सूची आपके पास भेज रहे है। इन विषयो मे से आप जिस विषय पर मेरे विचार जानने चाहे उनके लिये आप मुझे पत्र लिखे। मै उस विषय पर अपने विचार भेज सकता हूँ। इन विषयो से भिन्न कोई विषय आपको समझ मे आता है जिसपर मुझे लीक से हटकर कुछ सोचने की आवष्यकता है वैसा विषय आप मुझे सूचित करने की कृपा करे ।